>

Title: Need to bring Hawkers within the purview of Majithia Committee constituted by the Ministry of Labour and Employment.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

प्रिंट मीडिया और इलैक्ट्रोनिक मीडिया, दो तरह के मीडिया हैं, लेकिन प्रिंट मीडिया के अखबार कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसके लिए भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक मजीठिया कमेटी बनाई थी। उसकी जो सिफारिशें हैं, वे लागू नहीं हो रही हैं। उसके बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूं। जो हाकर्स हैं, वे सुबह दो बजे उठकर अखबार बांटते हैं। प्रिंट मीडिया बहुत प्रभावी है और उसको बहुत रिकग्नीशन मिला हुआ है। उसको पत्रकारों की श्रेणी के रूप में प्लाट भी मिलते हैं और दूसरी सुविधायें भी मिलती हैं। अखबार किसी के घर में कैसे पहुंचता है? वह सिर्फ हॉकर के माध्यम से पहुंचता है। अस्सी परसेंट लोग हॉकर बीपीएल श्रेणी के होते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हॉकर रात को डेढ़ बजे उठता है और दो बजे अपनी साइकिल लेकर, जहां अखबार होता है, वहां पहुंचता है। मैं बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। मुझे हॉकर एसोशिएसन के सदस्य मिले। मुझे बताया गया कि महीने में एक हॉकर को एक कुत्ता काट लेता है। दो बजे या तीन बजे जब हॉकर कहीं जाता है, तो उसे कुत्ता काट लेता है। आजकल कुत्ते द्वारा काटने पर 16 इंजेक्शन तो नहीं लगते हैं, लेकिन पांच इंजेक्शन जरूर लगते हैं। एक इंजेक्शन चार सौ रूपए का आता है। अगर एक हॉकर को कुत्ते ने काटा तो उसके दो हजार रूपए महीने के इंजेक्शन में ही खर्च हो जाते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से श्रम और रोजगार मंत्रालय से कहना चाहता हूं कि मजेठिया कमेटी की सिफारिशें अभी तक क्यों नहीं लागू की गयीं? अगर आप उसको पत्रकार नहीं मान सकते हैं, तो उसे कर्मचारी मानिए और उसको मजेठिया कमेटी की सिफारिश के अनुसार लाभ पहुंचाइए। मैं आपके माध्यम सरकार को इस बात को कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : The following hon. Members associated themselves with the matter raised by Shri Arjun Ram Meghwal.

Shri K.D. Deshmukh

Shri Shripad Yesso Naik

Shri Rajendra Agrawal